सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2019/06 दर्ज दिनांक : 25.01.2019

1. पुरूषोतम लाल पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण उम्र 51 वर्ष निवासी लालासर तहसील व जिला चूरू

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
2. प्रभुदयाल पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण उम्र 51 वर्ष निवासी लालासर तहसील व जिला चूरू
3. महेश कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण उम्र 51 वर्ष निवासी लालासर तहसील व जिला चूरू
4. शंकरलाल पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण उम्र 51 वर्ष निवासी लालासर तहसील व जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–धन्नाराम सैनी
प्रतिवादी– कपिल महर्षि

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः–

वादी की ओर से नीचे लिखे अनुसार दावा प्रस्तुत है :–

1. यह कि वादी की संयुक्त खातेदारी, काश्तकारी की कृर्षि भूमि वाके रोही लालासर पट्टा राजपुरा में स्थित चली आ रही है जिसके खसरा नं. 11 व 20 है, जिसके पुराने खसरा नं. 10 मीन है।
2. यह कि उक्त कृषि भूमि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070–73 वाके रोही लालासर पट्टा राजपुरा में (1) प्रभुदयाल पुत्र सत्यनारायण हिस्सा – 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी लालासर पट्टा राजपुरा (2) पुरूषोतम लाल पुत्र सत्यनारायण हिस्सा – 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी लालासर पट्टा राजपुरा (3) महेश कुमार पुत्र सत्यनारायण हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी लालासर पट्टा राजपुरा (4) शंकरलाल पुत्र सत्यनारायण हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी लालासर पट्टा राजपुरा के नाम से कृषि भूमि खेत खसरा नं. 11 व 20 तादादी क्रमशः 2.1878 व 5.7415 कुल तादादी 7.9293 के नाम स्थित चली आ रही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:58 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि उक्त कृषि भूमि का मौखिक बंटवारा हो चुका है तथा वादी के हिस्से में 1.9823 हैक्टेयर दक्षिण साईड की कृषि भूमि आई हुई हैं। मौके पर भी उतनी ही भूमि स्थित चली आ रही हैं। लेकिन उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विधिवत विभाजन नहीं हुआ हैं, आज तक उक्त भूमि अविभाजित चली आ रही हैं।
4. यह कि उक्त कृषि भूमि मौके पर दक्षिण साईड में लगभग सीधा हैं, खेत आयताकार हैं। राजस्व नक्शा में पश्चिम व दक्षिण साईड का कोना सीधा मिलाया हुआ नहीं हैं, खुला छोड़ा हुआ हैं जिससे राजस्व नक्शा में उक्त कोना कटा हुआ दिखाई देता हैं, जबकि दक्षिण साईड की लम्बाई 550 फुट मौके पर सदामद से कायम चली आ रही हैं, सींव पुख्ता बनी हुई हैं सींव में बाड़ बौड़ो जांटी आदि खड़े हैं, जबकि नक्शा से उक्त नाप सही नहीं बैठता हैं। राजस्व रिकॉर्ड में सन् 1944 का नक्शा बना हुआ हैं, जिसमें गट्ठों में माप अंकित हैं। सन् 1944 के नक्शे का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त सींव बिलकुल सीधी दिखाई देती हैं। उक्त सींव टेढ़ी नहीं हैं। मौजूद नक्शा गलत बना हुआ हैं, जिसको सही करवाया जाना आवश्यक हैं।
5. यह कि उक्त नक्शा दक्षिण साईड से गलत बना हुआ है उक्त नक्शा को राजस्व जमाबन्दी के अनुसार मौके के अनुसार करवाया जाना आवश्यक हैं। अन्यथा मौके पर गलत नक्शे के कारण विवाद पैदा हो सकता हैं। कई प्रकार की पेचिदकियां पैदा हो सकती हैं, वाद की बहुलता हो सकती हैं। दक्षिण साईड में जिस प्रकार का नक्शा बना हुआ हैं, वैसे स्थिति मौके पर कभी भी नहीं रही हैं। जैसी स्थिति आज मौके पर हैं वैसी स्थिति सदामद चली आ रही हैं।
6. यह कि वादी ने नक्शा को दुरूस्त करने हेतु कई बार प्रतिवादी सं. 1 को कहा एवं कहलवाया लेकिन आजं तक नक्शा दुरूस्त नहीं किया हैं। प्रतिवादी सं. 2 से 4 उक्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने के कारण दावा की स्थिति में प्रतिवादी सं. 2 से 4 पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हैं।
7. यह कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक विधिक नोटिस दिनांक 12.11.2018 को अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी प्रतिवादीगण को दिया था। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 26.11.2018 को जवाब दिया कि नक्शे/रिकॉर्ड में संशोधन सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद दायर करके करवाया जा सकता हैं। दिनांक 11.01.2019 को 2 माह की नोटिस अवधि पूरी हो चुकी हैं तथा दिनांक 14.01.2018 को इन्कार कर दिया। इस कारण आवश्यक हो गया हैं कि वादी अपने हितो की रक्षार्थ श्रीमानजी के समक्ष चाराजोही करें।
8. यह कि वादगत नक्शा का तमाम राजस्व अभिलेख राजस्थान सरकार के लिए तहसीलदार महोदय के पावर व पजेशन में है तथा दावा डिक्री होने की सूरत में डिक्री के अनुसार प्रविष्टियां भी तहसीलदार महोदय के माध्यम से होनी है। इसलिए दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।
9. यह कि विवादित कृषि भूमि लालासर में स्थित होने के कारण तथा उक्त भूमि श्रीमानजी के श्रवणाधिकार [illegible] निर्धारित न्याय शुल्क 4 रूपये पर दावा अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे।
(क) घोषित किया जावे कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 11 व 20 पुराना खसरा नम्बर 10 मीन रोही मौजा लालासर तहसील व जिला चूरू का वर्तमान राजस्व नक्शा को वादी पुराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व नक्शा संवत् 1944 के मुताबिक दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं, रकबे, मौके के मुताबिक दुरूस्त किया जावें।

(ख) प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वो कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 11 व 20 पुराना खसरा नम्बर 10 मीन रोही मौजा लालासर तहसील व जिला चूरू के वर्तमान राजस्व नक्शा को तहसीलदार चूरू पुराने राजस्व नक्शा संवत् 1944 के मुताबिक, रकबे, मौके के मुताबिक दुरूस्त करें। तथा नक्शे में तरमीम करें।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे। अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे वो भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। श्रीमान् जी की बड़ी कृपा होगी।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 की ओर से अधिवक्ता कपिल ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है।

जवाब दावा

प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 की ओर जवाब दावा नीचे लिखे अनुसार पेश है :–

1. यहकि दावा की मद सं 1 मे वर्णित तथ्य सही अंकित किये गये होने से स्वीकार है।
2. यहकि दावा की मद सं 2 मे वर्णित तथ्य सही अंकित किये गये होने से स्वीकार है।
3. यहकि दावा की मद सं 3 मे वर्णित तथ्य सही अंकित किये गये होने से स्वीकार है।
4. यहकि दावा की मद सं 4 मे वर्णित तथ्य सही अंकित किये गये होने से स्वीकार है।
5. यहकि दावा की मद सं 5 मे वर्णित तथ्य सही अंकित किये गये होने से स्वीकार है।
6. यहकि दावा की मद सं 6 मे वर्णित तथ्य सही अंकित किये गये होने से स्वीकार है।
7. यहकि दावा की मद सं 7 मे वर्णित तथ्य सही अंकित किये गये होने से स्वीकार है।
8. यहकि दावा की मद सं 8 मे लिखे तथ्य कानूनी है।
9. यहकि दावा की मद सं 9 मे लिखे तथ्य कानूनी है।
10. यहकि दावा में चाहा गया अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>विशेष कथन</u>

11. यहकि वादगत कृषि मौके पर दक्षिण साईड में लगभग सीधी सींव है, खेत आयताकार है। राजस्व नक्शा में पश्चिम व दक्षिण साईड का कौना सीधा मिलाया हुआ नहीं है, खुला छोडा हुआ है। जिस[illegible] नक्शा में उक्त कौना कटा हुआ दिखाई देता है, जबकि द[illegible] मौके पर सदामत से कायम चली आ रही है, सींव पुख्ता बनी हुई [illegible] सींव में बाड़ बोझे, जांटी आदि खड़े है, जबकि नक्शा से उक्त नाप सही नहीं बैठता है। सन 1944 के नक्शों का अवलोकन करने से सींव बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, मौजूदा नक्शा सही नहीं बना हुआ है, जिसको दुरूस्त किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी सं 2 ता 4 को कोई आपत्ति नही है। श्रीमान्जी की बड़ी कृपा होगी।

जवाब दावा प्राप्त होने पर पत्रावली साक्ष्य में नितय की गई। वादी की ओर से तीन व्यक्तियों ने साक्ष्य पेश किये साक्ष्य में वादी के दावे का समर्थन किया गया है। तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिसके अनुवार ग्रमा लालासर पट्टा राजपुरा के ख. नं. 11 रकबा 2.1878 है व खसरा नम्बर 20 तादादी 5.7415 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 7.9293 है. जिसके खातेदार प्रभुदयाल पुरूषोतमलाल महेश कुमार व शंकरलाल पुत्रगण सत्यनारायण ब.हि.ब. जाति ब्राह्मण निवासी लालासर पट्टा राजपुरा है। श्रीमानजी उक्त कृषि भूमि की दक्षिणी सींव व पश्चिमि सींव लगभग सीधी है एवं खेत का दक्षिणी पश्चिमी कोना पुख्ता है। सींव में बाड. बोझे जांटी इत्यादि बने हुए है। प्रार्थी पुरूषोतमलाल ने बताया कि उक्त सींव सदामत से इसी स्थिति में है एवं दक्षिणि पश्चिमी कोना हमेशा यथास्थिति में है। बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया

वाद पत्र में सिर्फ यह कहा गया है कि नक्शा गलत है और सीमा सीधी है लेकिन यह नहीं बताया गया कि नक्शा दुरुस्ती से किसका क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा कितना अंतर आएगा क्योंकि नक्शा दुरुस्ती अक्सर अन्य खातेदारों के अधिकारों को प्रभावित करती है वाद में केवल सह—खातेदार (भाई) और राज्य (तहसीलदार) को पक्षकार बनाया गया है लेकिन पड़ोसी खातेदार (जिनकी जमीन सटी हुई है) उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि नक्शा बदलने से सीमा बदल सकती है इससे पड़ोसियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं यह आवश्यक पक्षकारों का अभाव है वाद में सिर्फ सामान्य आरोप हैं क्शा गलत है पुराना नक्शा सही है लेकिन किस बिंदु पर क्या परिवर्तन होगा पुराना नया नक्शा का तुलनात्मक विवरण कोई पेश नहीं किया गया । रिकॉर्ड में गवाहों के बयान हैं में भी दावा स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता है। तहसीलदार की सामान्य रिपोर्ट है लेकिन कोई प्रमाणित नक्शा तुलना हेतु ना ही कोई measurement report (पैमाइश रिपोर्ट) ना ही कोई amended sketch है। इससे दावा अस्पष्ट और अप्रमाणित बनता है आवश्यक पक्षकारों का अभाव दावा अस्पष्ट कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज नहीं होने से व क्षेत्रफल परिवर्तन का उल्लेख नहीं होने से नक्शा परिवर्तन का स्पष्ट विवरण नहीं होने से राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन निकटस्थ काश्तारों की क्षति होने की संभावना होने से दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित नहीं अतः दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

निर्णय

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक पक्षकारान, ठोस साक्ष्य सबूत के अभाव में दावा वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रारम्भिक पर्चा डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:58 IST
Reason: SelfAttested

यह प्रारम्भिक निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13.04.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

निर्णय दिनांकः– 13.04.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2019/06 दर्ज दिनांक : 25.01.2019

1. पुरूषोतम लाल पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण उम्र 51 वर्ष निवासी लालासर तहसील व जिला चूरू

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
2. प्रभुदयाल पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण उम्र 51 वर्ष निवासी लालासर तहसील व जिला चूरू
3. महेश कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण उम्र 51 वर्ष निवासी लालासर तहसील व जिला चूरू
4. शंकरलाल पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण उम्र 51 वर्ष निवासी लालासर तहसील व जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–धन्नाराम सैनी
प्रतिवादी– कपिल महर्षि

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:पर्चा डिक्रीः–

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक पक्षकारान, ठोस साक्ष्य सबूत के अभाव में दावा वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 13.04.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:58 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)